प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.............वर्ष ....**2022**..
2. प्र.इ.रि.सं. 355 / **2022**.............. दिनांक ......10/09/2022......
   (I) * अधिनियम – ...**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा ...7
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....384.........
   (III) * अधिनियम................–.............. धाराएं...............–...............
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...............
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....177....... समय.......2110 pm......
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– .... **दिनांक 08.09.2022 वक्त 4.55 पी.एम..........**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....25.05.2022..............
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक –
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –**बजानिब पश्चिम करीब 4 किलोमीटर**
   (ब) पता – कोठारी हॉस्पीटल के पीछे वाली गली, बीकानेर
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–...............
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – श्री ओमप्रकाश,
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री रामेश्वर लाल
   (स) जन्म तिथि/आयु – 41 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा –
   (ल) पता – खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   श्री पुरखाराम पुत्र श्री गुमानाराम जाति कुम्हार उम्र 54 साल निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 16 बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....100000/– रूपये भारतीय मुद्रा..के नम्बरी नोट व 9 लाख रू चिल्ड्रन बैक के नोट............
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–...............
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि 01.09.2022 वक्त 05:00 पीएम पर श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो एसयू बीकानेर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मेरे पिताजी रामेश्वर लाल पुत्र श्री सुगनाराम जाति कुम्हार के नाम से सक्षम आवंटन अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी दक्षिण बीकानेर ने दिनांक 29.09.1975 को ग्राम खारी चारणान के खेत ख.न. 196 में 50 बीघा कृषि भूमि आवंटन की थी। उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित 23.11.2017 को एक वाद उप खण्ड कार्यालय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय उप खण्ड अधिकारी कोलायत न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2022 को मेरे पिताजी के पक्ष में कर दिया गया तथा न्यायालय आदेश द्वारा नामान्तरण भी दर्ज कर दिया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी के पिताजी के खिलाफ 04.08.2022 को पीएस कोलायत एफआईआर नम्बर 167/22 दर्ज करवायी गई है। एफआईआर पुरखाराम कुम्हार जिला परिषद सदस्य द्वारा करवायी गई है। उपरोक्त मुकदमें में मेरे पिताजी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं करने के बदले 30 लाख रूपये मांग रहा है। अगर उक्त राशि नहीं आप नहीं दोगे तो मैं जिला परिषद सदस्य हूं और आपके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके आपकी जमीन खारिज करवा दूंगा। पुरखाराम से हमारे परिवार की कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई लेन देन नहीं है। मैं पुरखाराम कुम्हार को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करे"। परिवादी ओमप्रकाश ने दरियाफ्त पर बताया कि प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख में है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी के नाम से 1975 में 50 बीघा भूमि खसरा नम्ब 196 रोही खारी चारणान में आवंटन हुई थी। उस समय राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मेरे पिताजी के नाम दर्ज नहीं हुई थी। इसलिए मेरे पिताजी ने उप खण्ड कार्यालय कोलायत में दावा किया था। इस दावा का फैसला दिनांक 08.02.2022 हमारे पक्ष में उप खण्ड अधिकारी कोलायत न्यायालय हुआ जिसके बाद भूमि का नामान्तरण भी मेरे पिताजी के नाम दर्ज हो गया। श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य वार्ड नम्बर 16 बीकानेर ने हमें कहा कि मैं जिला परिषद बीकानेर का सदस्य हूं। यह भूमि मेरे क्षेत्र में आती है जिसमें से 15 बीघा भूमि मुझे दो या 30 लाख रूपये दो नही तो मैं आपके खिलाफ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाउंगा कि आपने फर्जी आवंटन पट्टे के आधार पर भूमि अपने नाम करवायी है। हमने उनको पैसे व भूमि नहीं दी तो उसने मेरे पिताजी के खिलाफ पुलिस थाना कोलायत जिला बीकानेर में मुकदमा नम्बर 167/22 दर्ज करवाया दिया जो अभी थाने पर जांच में है। श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य अब भी मुकदमें में राजीनाम करने की एवज 30 लाख रूपये अवैध रूप से मांग रहा है। श्री पुरखाराम ने जिला परिषद सदस्य होने का प्रभाव दिखाकर अपने क्षेत्र में भूमि होने के कारण भूमि को खारिज करवाने का दबाव बनाकर, आगे पुलिस थाना/कोर्टो में कार्यवाही नहीं करवाने के बदले 30 लाख रू मांग रहा है। हमारी श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य वार्ड नम्बर 16 बीकानेर से कोई आपसी रंजिश नहीं है, ना ही हमारा उससे कोई उधारी का लेन देन है। परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा पुलिस थाना कोलायत के मुकदमा नम्बर 167/2022 की फोटो प्रति पेश की जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। परिवादी ने अपने पिताजी का उसको खसरा नम्बर 196 रोही खारी चारणान की भूमि के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही करवाने के अधिकार देने सम्बन्धि अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त पूछताछ पर मामला प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट की परीधी में आता है। अतः रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। परिवादी ओमप्रकाश को रिश्वत मांग सत्यापन का तरीका बताने पर परिवादी ने बताया कि मैं एक दो दिन में पुरखाराम जिला परिषद सदस्य की उपस्थिति का पता कर उनसे बातचीत कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। श्री दोमादरसिंह कानि 137 को अपने कक्ष में बुलाकर श्री दामोदरसिंह कानि व परिवादी श्री ओमप्रकाश का आपसी परिचय करवाया गया। श्री दामोदरसिंह कानि को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य बताये गये। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू, बंद करने व वार्ता रिकॉर्ड करने का तरीका परिवादी श्री ओमप्रकाश व श्री दामोदर सिंह कानि को बताया गया।

परिवादी ओमप्रकाश व श्री दामोदरसिंह कानि की उपस्थिति में डिजीटल टेप रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डाला गया। परिवादी ने बताया कि पुरखाराम जिला परिषद सदस्य बीकानेर की उपस्थिति का पता कर मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा तथा श्री दामोदरसिंह कानि को मेरे साथ भेज देना मैं पुरखाराम से मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। परिवादी ओमप्रकाश व श्री दामोदरसिंह कानि के मोबाईल नम्बर आपस में एक दुसरे को दिलवाये गये तथा परिवादी ओमप्रकाश को हिदायत मुनासिब कर फारीग किया गया।

दिनांक 05.09.2022 वक्त 03:25 पी.एम पर परिवादी ओमप्रकाश उपस्थित आया और बताया कि श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य बीकानेर से मेरे परिचित श्री चन्द्रजी के मकान सुभाष पट्रोल पम्प के पिछे तिलकनगर बीकानेर पर मिलेगा जिससे मैं बातचीत कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन अभी करवा दूंगा। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड स्थापित है श्री दामोदरसिंह कानि को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी ओमप्रकाश को आरोपी पुरखाराम जिला परिषद सदस्य बीकानेर के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिए रवाना करने पूर्व डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द करे। श्री ओमप्रकाश परिवादी व श्री दामोदरसिंह कानि को हिदायत कर डिजीटल टेप रिकॉर्डर सहित रिश्वत मांग सत्यापन के लिए तिलक नगर बीकानेर के लिए रवाना किया गया। वक्त 05:30 पी.एम पर श्री दामोदरसिंह कानि उपस्थित आया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी ओमप्रकाश कार्यालय हाजा से मैं मेरी निजी मोटरसाईकिल व परिवादी अपनी कार से रवाना होकर सुभाष पट्रोल पम्प जयपुर रोड बीकानेर के पास पहुंचे। डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी ओमप्रकाश को दे दिया। परिवादी ओमप्रकाश अपनी कार से रवाना होकर एक मकान के पास पहुंचा तथा अपनी गाडी से निकलकर एक मकान में चला गया। मैं अपनी उपस्थिति छिपाते हुए वहीं आस पास खडा हो गया। परिवादी कुछ समय बाद मकान से वापस आकर अपनी गाडी में बैठकर रवाना हुआ सुभाष पट्रोल पम्प के पास पहुंचा जहां मैं परिवादी ओमप्रकाश से डिजीटल टेप रिकॉर्डर बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य बीकानेर मेरे जाने पूर्व ही श्री चन्द्रजी के मकान से निकल कर चला गया था। श्री चन्द्रजी ने अपने मोबाईल फोन से श्री पुरखाराम के मोबाईल पर कॉल पर मेरी बात करवायी। पुरखाराम जिला परिषद सदस्य कल दिनांक 06.09.2022 को 3 पीएम पर मिलना तय किया है। मैंने वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। मेरे जरूरी काम है इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। जिस पर मैं डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा हूं। डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री दामोदरसिंह कानि की उपस्थिति में चलाकर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होनी पायी गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 06.09.2022 वक्त 11:38 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री दामोदरसिंह कानि ने अपने मोबाईल से परिवादी ओमप्रकाश के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर सहित सुभाष पट्रोल पम्प तिलक नगर बीकानेर के पास तुरन्त पहुंचने का कहा।जिस पर श्री दामोदरसिंह कानि को कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर सहित परिवादी ओमप्रकाश से सम्पर्क कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने के लिए तिलक नगर बीकानेर के लिए रवाना किया गया। वक्त 01:30 पी.एम पर श्री दामोदरसिंह कानि कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि मैं डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर कार्यालय से रवाना होकर सुभाष पट्रोल पम्प तिलक नगर बीकानेर के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री ओमप्रकाश मिला। मैंने डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके परिवादी श्री ओमप्रकाश को दे दी। परिवादी ओमप्रकाश अपनी कार से रवाना होकर एक मकान के पास पहुंचा तथा अपनी गाडी से निकलकर एक मकान में चला गया। मैं अपनी उपस्थिति छिपाते हुए वहीं आस पास खडा हो गया। परिवादी कुछ समय बाद मकान से वापस आकर अपनी गाडी में बैठकर रवाना हुआ सुभाष पट्रोल पम्प के पास पहुंचा जहां मैं परिवादी ओमप्रकाश से डिजीटल टेप रिकॉर्डर बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य बीकानेर से मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत हो गई है और बातचीत के दौरान 50 हजार रूपये लिये है, 21 लाख रूपये का लेने तय किया है व 10 लाख रूपये एक दो दिन में लेन देन तय किया है। मैंने वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है। मेरे जरूरी काम है

इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। जिस पर मैं डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा हूं। डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री दामोदरसिंह कानि की उपस्थिति में चलाकर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होनी व 50 हजार रूपये लेने, 21 लाख रूपये लेन देन तय करने व 10 लाख रूपये एक दो दिन में लेन देन की वार्ता पायी गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 07.09.2022 वक्त 07:00 पी.एम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि दिनांक 05.09.2022 को मैं व श्री दामोदरसिंह कानि आपके कार्यालय से रवाना होकर सुभाष पट्रोल पम्प तिलक नगर बीकानेर के पास पहुंचे। श्री दामोदरसिंह कानि ने मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके दिया। मैं मेरे परिचित श्री चन्द्रजी के मकान पर गया तब तक श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य बीकानेर वहां से चला गया था। श्री चन्द्रजी ने अपने मोबाईल से पुरखाराम के मोबाईल पर मेरी बात करवायी तो पुरखाराम ने दिनांक 6.3.2022 को 3 बजे दिन में मिलना तय किया। वार्ता को मैंने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। मैं वहां से रवाना होकर सुभाष पट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री दामोदरसिंह कानि लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया। यह बात मैंने दामोदरसिंह कानि को बताई थी। मैंने दामोदरसिंह कानि को बताया था कि मेरे जरूरी काम है मैं आपके साथ ब्यूरो कार्यालय नहीं चल सकता। जिस पर दामोदरसिंह कानि डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर वहां से रवाना हो गये थे। श्री पुरखाराम से श्री चन्द्रजी के मकान पर दिनांक 06.09.2022 को वक्त 12 बजे दिन में मिलना तय होना तथा दामोदरसिंह कानि को पट्रोल पम्प के पास डिजीटल टेप रिकॉर्डर देकर भिजवाने के लिए बताया था। श्री दामोदरसिंह कानि सुभाष पट्रोल पम्प तिलक नगर बीकानेर के पास आया था जहां मैं उसे मिला तो उसने मुझे डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू करके दिया। मैं मेरे परिचित श्री चन्द्रजी के मकान पर गया जहां श्री पुरखाराम उपस्थित मिला। श्री चन्द्रजी के सामने मेरी व पुरखाराम की मेरे पिताजी के खिलाफ दर्ज मुकदमें के बारे में बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान पुरखाराम ने मेरे से 50 हजार रूपये ले लिये, 21 लाख रूपये लेकर हमारे पक्ष में राजीनामा करने पर सहमत हुआ। 10 लाख रूपये एक दो दिन में लेन देन तय हुआ है। मैंने वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। श्री चन्द्रजी का इस प्रकरण से कोई लेन देना नहीं है। मैं वहां से रवाना होकर सुभाष पट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री दामोदरसिंह कानि लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया। यह बात मैंने दामोदरसिंह कानि को बताई थी। मैंने दामोदरसिंह कानि को बताया था कि मेरे जरूरी काम है मैं आपके साथ ब्यूरो कार्यालय नहीं चल सकता। जिस पर दामोदरसिंह कानि डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर वहां से रवाना हो गये थे। तत्पश्चात परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा आरोपी श्री पुरखाराम से की गई वार्ता का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा है को श्री ओमप्रकाश परिवादी व श्री दामोदरसिंह कानि 137 के समक्ष कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्टर कर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड दिनांक 05.09.2022 को परिवादी श्री ओमप्रकाश की श्री चन्द्रजी से रूबरू व आरोपी पुरखाराम से मोबाईल पर हुई वार्ता तथा दिनांक 06.09.2022 को परिवादी ओमप्रकाश की आरोपी पुरखाराम व श्री चन्द्रजी से हुई वार्ता को सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। ट्रांसक्रिप्ट श्री दामोदरसिंह कानि से टाईप करवायी गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 05.09.2022 वार्ता की एक क्लीप व दिनांक 06.09.2022 वार्ता की एक क्लीप कुल दो क्लीप है जिनको श्री दामोदरसिंह कानि से कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव में कॉपी करवायी गई। एक पेन कार्ड को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे पेन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुला रखा जाकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपडे की चिन्दी के साथ सीलचीट किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को आगे कार्यवाही में काम लिया जाना है इसलिए मैमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रहने दिया गया तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। वार्ता में परिवादी के पिता के मुकदमें में परिवादी के पिता पक्ष में समक्षोते के लिए आरोपी पुरखाराम जिला परिषद सदस्य द्वारा दिनांक 06.09.2022 को बातचित के दौरान 50 हजार रूपये लेने, 21 लाख रूपये की मांग कर 10 लाख रूपये का एक दो दिन में लेन देन तय किया है। परिवादी ने बताया कि

कल दिनांक 08.09.2022 को मैं आरोपी को कोठारी अस्पताल बीकानेर के पास बुलाकर रिश्वती राशि दूंगा। जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 08.09.2022 को वक्त 11.30 ए.एम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया।

दिनांक 08.09.2022 वक्त 11:00 ए.एम. पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. बीकानेर के नाम तहरीर क्रमांक 1442 दिनांक 08.09.2022 श्री जमील अहमद कानि को देकर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश उपस्थित आया व बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि दस लाख रूपये की मेरे से व्यवस्था नहीं हुई है इसलिए एक लाख रूपयें में भारतीय मुद्रा के व नो लाख रू. विवाह शादी में काम आने वाले (बच्चो के खेलने वाले रूपये) लाया हूं। उक्त तथ्य का प्रार्थना पत्र भी लिखकर लाया हूं। जिस पर परिवादी द्वारा कार्यवाही में चिल्ड्रन बैक के नोट पेश करने के संबंध में उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये जाकर कार्यवाही में चिल्ड्रन बैक के नोटों को प्रयोग में लिये जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। श्री जमील अहमद कानि के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग बीकानेर से दो कर्मचारी उपस्थित आये। जिनसे पूछने पर एक ने अपना नाम खेमचंद महात्मा पुत्र श्री बाबू लाल महात्मा उम्र 54 साल निवासी राणी बाजार इण्डस्ट्रीय एरिया भवनपुरा बस्ती बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड प्रथम बीकानेर व दूसरे ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र श्री शिशपाल उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी गांव रामपुरा पोस्ट कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षक, उद्यान सा.नि.वि नगर खण्ड बीकानेर होना बताया। उक्त दोनो को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहा रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति जाहिर की। परिवादी श्री ओमप्रकाश व दोनो स्वतंत्र गवाहान खेमचंद महात्मा व पवन कुमार का आपसी परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य, रिश्वती राशि मांग सत्यापन व अब तक की कार्यवाही के तथ्य बताये गये।

वक्त 01:00 पीएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 41 वर्ष जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर को मन अति0पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के निर्देश दिये तो परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरे से एक लाख रू भारतीय मुद्रा की व्यवस्था हुई है शेष नो लाख बच्चो के खेलने वाले रूपये की व्यवस्था कर लाया हूं। परिवादी ने 500-500 रू के 200 नोट भारतीय मुद्रा के पेश किये तथा 500-500 रू की छ व दो-दो हजार रूपये की तीन गड्डीयां (बच्चों के खेलने वाले नोट)पेश किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये दो दो हजार रूपये के तीन व पांच पांच सौ रूपये की छ गड्डीयां बच्चो के खेलने वाले नोटों की पेश की है जिनको देखने पर उक्त सभी गड्डीयां भारतीय मुद्रा के असली नोट के समान दिखाई देते है परन्तु उक्त नोटो पर अग्रेजी में CHILDREN BANK OF INDIA अंकित है, पांच पांच सौ नोटो की गड्डीयों पर नम्बर अंकित नही है, दो दो हजार के नोट की तीनों गड्डीयों के सभी नोटों पर 0AA 000000 नम्बर अंकित है, 2000 के उपर शब्दों में 'दो हजार अंक' अंकित है। पांच पांच सौ रूपये की छः गड्डीयों के सभी नोटों पर " 500 के नीचे अंग्रेजी में FULL OF FUN अंकित हैं। उक्त पांच पांच सौ रूपये की कुल 6 गड्डीयां व 2000-2000 रू की तीन गड्डीयों के प्रथम व अंतिम नोट पर पहचान के लिए गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये तथा मन अति.पुलिस अधीक्षक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त नो गड्डीयों को एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में रखवाकर बंडल बनाया गया। परिवादी द्वारा पेश किये गये 500-500 रू. के 200 नोट जो भी नई गड्डीयों के रूप में है तथा उक्त नोट असली भारतीय मुद्रा के है जो सिरियल नम्बरों से है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	पांच पांच सौ रूपये के सौ नोट	7 GK 717001 से 717100
2.	पांच पांच सौ रूपये के सौ नोट	7 GK 717101 से 717200

मालखाना से श्री बृजमोहन सिंह मुख्य आरक्षक से फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उपरोक्त एक लाख रूपये नम्बरी नोटो की दोनो गड्डीयो व चिल्ड्रन बैक के नोटो के बंडल को रखवाकर भारतीय मुद्रा की 500-500 रू की दोनो गड्डीया के प्रथम व अंतिम नोट व चिल्ड्रन बैक के नोटो के बण्डल पर श्री बृज मोहन सिह मुख्य आरक्षक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश की

जामा तलाशी गवाह श्री पवन कुमार से लिवाई गई तो कोई आपत्ति जनक सामान नहीं पाया गया। फिनोपथलीन पाउडर युक्त भारतीय मुद्रा की पांच पांच सौ की दोनो गड्डीया व चिल्ड्रन नोटो के बण्डल को पारदर्शी प्लास्टिक की दूसरी थैली में श्री बृजमोहन सिंह मुख्य आरक्षक से डलवाकर परिवादी की गाडी नम्बर आरजे 07 सीडी 4202.की अगली सीट पर रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री पुरखाराम द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट व पाउडर युक्त नौटों का बण्डल उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, श्री पुरखाराम द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन-देन के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपनी गाडी की हैड लाईट जलाकर रिश्वत राशि के लेन देन का गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन धोल के गिलास में श्री बृजमोहन सिंह मुख्य आरक्षक के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रख दिया गया। श्री बृजमोहन सिंह मुख्य आरक्षक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन् अति.पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने-अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि आरोपी से रिश्वत लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करे। फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मानकर अपने अपने हस्ताक्षर किए।

वक्त 3:22 पीएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश के मोबाईल नम्बर 9822863298 से आरोपी श्री पुरखाराम के मोबाईल नम्बर 8107426396 पर कॉल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता को श्री दामोदर सिंह कानि की सहायता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर की सहायता से रिकार्ड किया गया। वार्ता में परिवादी ने आरोपी से कोठारी हॉस्पीटल, बीकानेर के पीछे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ एक घण्टे बाद मिलना तय किये जाने पर वक्त 4:40 पीएम इस समय परिवादी श्री ओमप्रकाश को सुपूर्द की गई डिजिटल टेप रिकॉर्डर श्री दामोदर सिंह कानि से चालू करवाकर परिवादी को उसकी निजी कार से रवाना कर परिवादी के पीछे पीछे श्री दामोदर सिंह कानि व पवन कुमार गवाह को मोटर साईकल पर, पुलिस निरीक्षक श्री गुरमेल सिंह के साथ श्री मंगतूराम हैड कानि 71, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 482 व गवाह श्री खेमचन्द महात्मा को पुलिस निरीक्षक की निजी कार से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जमील अहमद कानि 147, श्री राजेश कुमार हैड कानि 76 मय चालक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के मेरी निजी कार से ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री लेकर कार्यालय हाजा से रवाना होकर कोठारी हॉस्पीटल बीकानेर के पीछे, आईसीआईसीआई बैंक के पास वाली गली में पंहुचा, परिवादी अपनी गाड़ी में बैठा है, ट्रेप पार्टी के सदस्यों ने अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए, परिवादी के ईशारे के लिए मुकिम हुए।

वक्त 04.55 पीएम पर परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 41 वर्ष जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर ने कोठारी अस्पताल बीकानेर के पिछे वाली गली में बीकानेर जैसलमेर मैन रोड से निकलने वाली रोड पर करीब 100 मीटर दूरी पर अपनी कार की हैड लाईट जलाकर पूर्व निर्धारित रिश्वती राशि लेन देन का ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा उपरोक्त दोनों गवाहान खेमचंद महात्मा व पवन कुमार, ब्यूरो स्टाफ सर्वश्री श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक, मंगतुराम मुख्य आरक्षक 71, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक 76, श्री जमील अहमद कानि 147, श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482, श्री दामोदरसिंह कानि 137 को साथ लेकर परिवादी की कार नम्बर आरजे 07 सीडी 4202 के पास पहुंचा तो परिवादी की कार के ड्राईवर सीट की तरफ से एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था जिसके दाहिने हाथ में एक काले रंग का बैंग था। परिवादी से

डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने गाडी से उतर रहे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह पुरखाराम जिला परिषद सदस्य है जिसने अभी मेरे से एक लाख रूपये भारतीय मुद्रा व 9 लाख रूपये के चिल्ड्रन बैक के नोटो का बंडल अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी काले रंग की बैग में रख लिये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व गवाहान का परिचय उसको देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री पुरखाराम पुत्र श्री गुमानाराम जाति कुम्हार उम्र 54 साल निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 16 बीकानेर होना बताया। श्री पुरखाराम से परिवादी श्री ओमप्रकाश से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा तो कहा मैंनें अभी पैसे लिए है जो मेरी बैग में है। मौके पर काफी भीड़ होने से सुरक्षा की दृष्टि से श्री पुरखाराम का दाहिना हाथ श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक व बांया हाथ श्री दामोदरसिंह कानि से पकडवाकर श्री गुरमेलसिंह पुलिस निरीक्षक की निजी कार में बैठाकर पुलिस निरीक्षक की निजी कार, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की निजी कार, सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना होकर परिवादी, दोनो गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, आरोपी श्री पुरखाराम व उसकी कार को साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पुलिस थाना नयाशहर बीकानेर पहुंच कर वक्त 05:15 पीएम पर कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य को परिवादी से रिश्वती राशि किस बाबत ली के बारे में पूछने पर पुरखाराम ने बताया कि मेरे द्वारा कोलायत पुलिस थाना में ओमप्रकाश के पिताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है जिसमें इनके पक्ष में राजीनामा करने के बदले में लिये है जो मेरी काले रंग की बेग में है। मैंने पैसे रिश्वत के नहीं लिए है समझौते करने के बदले लिये है। मौके पर परिवादी श्री ओमप्रकाश ने स्वेच्छा से बताया कि श्री पुरखाराम ने जिला परिषद सदस्य होने का प्रभाव दिखाकर अपने क्षेत्र में भूमि होने के कारण हमारी भूमि को खारीज करवाने का दबाब बनाकर व आगे पुलिस थाना/कोर्टो में कार्यवाही नहीं करने के बदले में दिनांक 06.05.2022 को मांग सत्यापन के समय 50 हजार रूपये ले लिये तथा 21 लाख रूपये का लेन देन तय कर आज एक लाख रूपये भारतीय मुद्रा व 9 लाख रूपये के चिल्ड्रन बैक के नोट प्राप्त किये है। इन्होने यह राशि अपने जिला परिषद सदस्य होने का प्रभाव दिखाकर प्राप्त की है। रिश्वती राशि लेन देन की ताईद होने पर ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास मंगवाकर साफ साबुन पानी से धुलवाकर उक्त दोनों कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर प्रत्यके गिलास में एक चम्मच सोडीयम कार्बोनेट पाउडर डालकर सोडीयम कार्बोनट का घोल बनाया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य के दाहिने हाथ की अंगुठे व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचीट कर मार्क आरएच 1 व आरएच 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रंगहीन घोल के दुसरे गिलास में श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य के बांये हाथ की अंगुठे व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचीट कर मार्क एलएच 1 व एलएच 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य के पास काले रंग का बैग मिला जिस पर आगे की साईड में अंग्रेजी में PRIORITY अंकित है तथा बैग के पांच भाग है प्रत्येक भाग के उपर चैन लगी है। गवाह श्री खेमचन्द महात्मा से श्री पुरखाराम के काले रंग की बैग की तलाशी करवायी तो बैग के चाथे भाग(चौथे खन) से 500–500 रूपये के नोट भारतीय मुद्रा की दो गड्डी व एक प्लास्टिक की थैली में पैक नोटों का बण्डल निकालकर पेश किया। दोनों गवाहान से पूर्व में बनायी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी से उक्त बरामद नोटों का मिलान करवाया तो 500–500 रूपये के नोट भारतीय मुद्रा की दोनों गड्डीयों(200 नोटों) के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी के अनुसार ही पाये गये। प्लास्टिक थैली में पैक नोटों के बण्डल को खोलकर चैक किया तो 2000–2000 रूपये की तीन व 500–500 रूपये की 6 गड्डीया चिल्ड्रन बैंक के नोट मिले, प्रत्येक गड्डी के प्रथम व अन्तिम नोट पर गवाहान श्री खेमचन्द महात्मा,पवन कुमार, परिवादी श्री ओमप्रकाश व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर पाये गये जो फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोट ही पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटों का विवरण नम्बर प्रकार है–

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
01	पांच पांच सौ रूपये के सौ नोट	7 GK 717001 से 7 GK 717100

02	पांच पांच सौ रूपये के सौ नोट	7 GK 717101 से 7 GK 717200

उपरोक्त बरामदशुदा 500–500 रूपये भारतीय मुद्रा के 200 नोटों को एक सफेद कपडे के टुकडे में सीलचीट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बरामद 500–500 रूपये की छः व 2000–2000 हजार रूपये की तीन गड्डीयां (बच्चों के खेलने वाले नोट) चिल्ड्रन बैंक ऑफ इण्डियां की गड्डीयां के सभी नोटों पर अग्रेजी में CHILDREN BANK OF INDIA अंकित है तथा प्रत्येक गड्डी के प्रथम व अंतिम नोट पर गवाहान श्री खेमचन्द महात्मा,पवन कुमार, परिवादी श्री ओमप्रकाश व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। उक्त 9 गड्डीयों को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक नये साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडीयम कार्बोनेट डालकर घोल बनाया गया जो रंगहीन रहा। सोडीयम कार्बोनेट के घोल में एक कपडै की चिन्दी डूबोकर श्री पुरखाराम के बैग में जिस स्थान पर रिश्वती राशि मिली थी उस स्थान पर चिन्दी को रंगडकर चिन्दी को सोडीयम कार्बोनेट के घोल के गिलास में डूबाकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचीट कर मार्क बी 1 व बी 2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त बैग के धोवन में प्रयुक्त कपडे की चिंदी को सुखाकर उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उसे कपडे की थैली में डालकर सिलचिट कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी पुरखाराम के काले रंग के बैग की तलाशी गवाह श्री पवन कुमार से लिवायी गई तो बैग में कच्छा बनीयान,सामान्य कागजात के अलावा एक परिचय पत्र कार्यालय जिला परिषद बीकानेर द्वारा जारी श्री पुरखासम पुत्र श्री गुमानाराम निवासी खारी चारणान आधार नं. 7066 7898 2606 मिला। उक्त बैग में पुरखाराम जिला परिषद सदस्य वार्ड नम्बर 16 बीकानेर का लेटरपैड,फोटो प्रति प्रार्थना पत्र विरूद्ध रामेश्वर लाल पुत्र सुगनाराम श्रीमान एडीएम कैम्प कोलायत, एक प्रार्थना पत्र श्रीमान महानिदेशक, भ्र. नि.ब्यूरो जयपुर के नाम का प्रार्थी कोजूराम पुत्र जैसाराम के नाम का जिस पर कोजूराम के हस्ताक्षर नही है, उक्त प्रार्थना रामेश्वर पुत्र सुगनाराम को गलत रूप से भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध राजूराम कुमावत सरपंच ग्राम पंचायत खारी चारनान के लेटरपैड पर श्रीमान उप खण्ड अधिकारी कोलायत के नाम अराजीराम भूमि पर भूमाफिया द्वारा खसरा नम्बर 231/196, 659/196 इत्यादि पर कब्जा करने बाबत की फोटो प्रतियां मिली। उक्त फोटो प्रतियां कुल 9 पेज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त 9 पेज कगजात व श्री पुरखाराम का परिचय पत्र कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त बैग में मिले कच्छा बिनीयान व सामान्य कागजात तथा आरोपी की कार मारूति एल्टो K10 नम्बर आरजे 10 सीए 2276 आरोपी के बताये अनुसार सुपुर्द की जावेगी। आरोपी पुरखाराम का काले रंग का बैग जिसके आगे की तरफ अंग्रेजी में PRIORITY अंकित है। उक्त बैग बंरग काला प्रकरण में वजह सबूत होने से उक्त बैग को एक सफेद कपडे की चीट के साथ सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही, फर्द हाथ धुलवायी एवं बरामदगी रिश्वती राशि से आरोपी पुरखाराम पुत्र श्री गुमानाराम जाति कुम्हार उम्र 54 साल निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 16 बीकानेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 384 भादसं का घटित होना पाया जाता है। आरोपी पुरखाराम को जरिये फर्द गिरफतारी जुदागाना गिरफ्तार किया जावेगा। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलवाई एंव बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। फर्द नमूना पीतल की सील नम्बर 24 तैयार कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की । परिवादी श्री ओमप्रकाश व आरोपी श्री पुरखाराम जिला परिशद सदस्य वार्ड नम्बर 16 जिला बीकानेर के मध्य रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता तथा परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के समय दिनांक 08.09.2022 को हुईरूबरू हुई वार्ता, जो डिजिटल टेप रिकार्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त टेप रिकार्डर को उपरोक्त दोनो गवाहान, परिवादी श्री ओमप्रकाश व श्री दामोदर सिंह कानि के रूबरू कार्यालय के लैप–टॉप से कनेक्ट कर सुन–सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 08.09.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की दो क्लीप है, जिनको कॉपी करवाकर दो पेन ड्राईव में कॉपी की गई। एक पेन ड्राईव को उसके

सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव को **एक सफेद** कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये **गये। दूसरे** पेन ड्राईव को अन्वेष्णार्थ खुला रखा जाकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपडे की चिन्दी के साथ सीलचीट किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व एंव वक्त लेन देन हुई वार्ता की कुल 04 क्लिप रिकार्ड है, को डिजिटल टेप रिकार्डर से निकाल कर उसके सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। कार्यवाही में माल वजह सबूत सीलचिट करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील को अनुपयोगी किया जाकर फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नम्बर 24 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री पुरखाराम जिला परिषद सदस्य वार्ड नम्बर 16, बीकानेर को जरिये फर्द गिरफ्तारी एंव जामा तलाशी गिरफ्तार किया गया। रात्रि का समय हो चुका है। इस कारण घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार नहीं किया जा सकता। आईन्दा कल सुबह घटना स्थल का मौका निरीक्षण कर, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जायेगा। परिवादी श्री ओमप्रकाश को कल सुबह 11:00 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबंद कर फारीग किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, गिरफ्तारशुदा पुरखाराम, प्रकरण में जब्त माल वजह सबूत, ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर लेकर पुलिस निरीक्षक की निजी कार, सरकारी मोटरसाईकिल, मेरी निजी कार से पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर से कार्यालय हाजा के लिए रवानाशुदा कार्यालय हाजा पंहुचा। प्रकरण का माल वजह सबूत मुताबिक फर्दात के श्री राजेश कुमार हैड कानि 76 के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना सदर बीकानेर की हवालात में जमा करवाया गया। दिनांक 09.09.2022 को घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय, भ्रनिमा बीकानेर मे समक्ष पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का आदेश प्रदान करने पर पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाया गया।

अब तक सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी पुरखाराम जिला परिषद सदस्य वार्ड नम्बर 16 बीकानेर ने परिवादी श्री ओमप्रकाश के पिता श्री रामेश्वर लाल के नाम से आवंटित कृषि भूमि खसरा नम्बर 196 तादादी 50 बीघा के सम्बन्ध में खिलाफ पुलिस थाना कोलायत में मुकदमा नम्बर 167/2022 दर्ज करवाया है व इसी प्रकरण के सम्बन्ध में स्वयं व अपने परिचित श्री कोजूराम से उच्च अधिकारियों को परिवादे पेश कर भूमि आवंटन निरस्त करवाने हेतु परिवादी पक्ष पर दबाब बनाता रहा। आरोपी पुरखाराम ने जिला परिषद सदस्य होने का प्रभाव दिखाकर अपने क्षेत्र में भूमि होने के कारण भूमि को खारीज करवाने का दबाब बनाकर व आगे पुलिस थाना/कोर्टो में कार्यवाही नहीं करने की बदले में परिवादी ओमप्रकाश से दिनांक 06.05.2022 को मांग सत्यापन के समय 50 हजार रूपये प्राप्त कर लिये तथा 21 लाख रूपये तय कर उनमें से एक दो दिन में 10 लाख रूपये लेने तय किये। दिनांक 08.09.2022 को एक लाख रूपये भारतीय मुद्रा व 9 लाख रूपये के चिल्ड्रन बैंक के नोट कुल 10 लाख रूपये अपने जिला परिषद सदस्य होने की प्रभाव दिखाकर प्राप्त कर प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 384 भादस का अपराध कारित किया है। अतः श्री पुरखाराम पुत्र श्री गुमानाराम जाति कुम्हार उम्र 54 साल निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 16 बीकानेर के विरूद्ध विरूद्ध बिना नम्बर प्रथम सूचना तैयार कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्र.नि.ब्यूरो(एसयू), बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एस.यू.)बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384 भादसं में आरोपी श्री पुरखाराम पुत्र श्री गुमानाराम, निवासी खारी चारणान, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, हाल जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 16, बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 355/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

कमांकः 3080-84 दिनांकः 10.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.बीकानेर।

10.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।